

**झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची**

**डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या-5161/2022**

मेसर्स बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड, इसके निदेशक श्री गौरव बुधिया के माध्यम से

..... याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. भारत संघ, सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के माध्यम से, जिनका कार्यालय केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, डाकघर + थाना- विजय चौक, नई दिल्ली में है।
2. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नॉर्थ ब्लॉक, डाकघर + थाना- विजय चौक, नई दिल्ली।
3. आयुक्त (अपील), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय राजस्व भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर, ओडिशा।
4. संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), केंद्रीय राजस्व भवन (जी.एस.टी भवन), राजस्व विहार, भुवनेश्वर, ओडिशा।

.....उत्तरवादीगण

**साथ**

**डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या-4340/2022**

मेसर्स बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड, इसके निदेशक श्री गौरव बुधिया के माध्यम से

..... याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. भारत संघ, सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के माध्यम से, जिनका कार्यालय केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, डाकघर+ थाना- नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में है।
2. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नॉर्थ ब्लॉक, डाकघर+ थाना- नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

3. आयुक्त (अपील), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय राजस्व भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर, ओडिशा।

4. सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क प्रभाग, धामरा, डाकघर+ थाना- दोसिंगा, भद्रक, ओडिशा।

.....उत्तरवादीगण

----

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगोन मुखोपाध्याय

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

---

याचिकाकर्ता की ओर से :श्री के.कुर्मी,अधिवक्ता

:श्री एन.के.पसारी,अधिवक्ता

उत्तरवादी सीजीएसटी की ओर से :श्री अमित कुमार,अधिवक्ता

उत्तरवादी भारत संघ की ओर से :श्री अनिल कुमार,ए.एस.जी.आई.

----

11/04.03.2024

दीपक रोशन, न्या. द्वारा

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। चूंकि ये दोनों रिट आवेदन आपस में जुड़े हुए हैं और इसमें शामिल मुद्दा एक ही है; इसलिए दोनों की एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया गया है।

2. रिट आवेदन डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 5161/2022 में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की हैं;

"A. दिनांक 10-08-2022 के अपील आदेश संख्या113-114/CUS/CCP/ 2022 को, जो कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक - "1" में है, जिसे उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 128 सपठित धारा 128A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है और यह निर्धारित/घोषित किया गया है कि उक्त आदेश कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के अनिवार्य

प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है, को रद्द और अपास्त करने के लिए रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए;

B. उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 19-11-2018 के विवादित मूल आदेश संख्या CC(P)/BBSR/CUS/No.- 16/संयुक्त आयुक्त/2018 को, जो कि इस याचिका के अनुलग्नक- "2" में है और यह निर्धारित/घोषित किया गया है कि उक्त आदेश कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है और यह भी कि यह उक्त अधिनियम की धारा 28(9)(क) के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित है, को रद्द करने और अपास्त करने के लिए, रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए;

C. उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 19-11-2018 के विवादित मूल आदेश संख्या CC(P)/BBSR/CUS/No-17/संयुक्त आयुक्त/2018 को, जो कि इस याचिका के अनुलग्नक- "3" में है, और निर्धारित/घोषित किया गया है कि कथित विवादित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है और यह भी कि यह उक्त अधिनियम की धारा 28(9)(क) के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित है, को रद्द और अपास्त करने के लिए, रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए;

D. उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 20.03.2012 के बिल ऑफ रट्टी नं. 260/HC/2011-12 के संबंध में जारी दिनांक 20-04-2018 के विवादित कारण बताओ नोटिस संख्या C. No. VIII (10)11/SCN/BSIL/CUS(P)/BBSR/2018/8187A को, जो कि इस याचिका के अनुलग्नक-"4" में है और निर्धारित/घोषित किया गया है कि कथित विवादित कारण बताओ नोटिस कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है और यह कि यह परिसीमा कि युक्तियुक्त अवधि से वर्जित है, को रद्द और अपास्त करने के लिए, रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए;

E. उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 20.03.2012 के बिल ऑफ रट्टी नं. 261/HC/2011-12 के संबंध में जारी दिनांक 20-04-2018 के विवादित कारण बताओ नोटिस संख्या C. No. VIII (10)11/SCN/BSIL/CUS(P)/BBSR/2018/8189A को, जो कि इस याचिका के अनुलग्नक-"5" में है और निर्धारित/घोषित किया गया है कि कथित विवादित कारण बताओ नोटिस कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए जारी किया गया है और यह परिसीमा कि युक्तियुक्त अवधि से वर्जित है, को रद्द और अपास्त करने के लिए, रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए। "

3. रिट आवेदन डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 4340/2022 में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की हैं;

"A. दिनांक 01-08-2022 के अपील में आदेश संख्या 107-110/CUS/CCP/ 2022 को, जो कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक - "1" में है, जिसे उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 128 सपठित धारा 128A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है और यह घोषित किया गया है कि वर्तमान मामले में अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना परिसीमा द्वारा वर्जित है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, को रद्द और अपास्त करने के लिए रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए;

B. उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित अंतिम रूप से बिल ऑफ एंट्री का मूल्यांकन करने वाला दिनांक 26.06.2021 के विवादित अंतिम मूल्यांकन आदेश संख्या C. No. VIII (06)95/CUS/DMR/2012/Pt/04/1087, जो कि इस याचिका के अनुलग्नक-"2" में है और यह निर्धारित किया गया है कि वर्तमान मामले में अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना परिसीमा द्वारा वर्जित है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, को रद्द और अपास्त करने के लिए रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए;

C. उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित मूल आदेश संख्या AC/DMR/FA/IMP/02/2021 वाले दिनांक 20/21.09.2021 के विवादित अंतिम मूल्यांकन आदेश, जिसमें अंतिम रूप से बिल ऑफ एंट्री संख्या 341/HC/2012-13 का मूल्यांकन किया गया था, जो कि इस याचिका के अनुलग्नक-"3" में है और यह निर्धारित किया गया है कि वर्तमान मामले में अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना परिसीमा द्वारा वर्जित है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, को रद्द और अपास्त करने के लिए रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए;

D. उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 03.04.2018 के विवादित अंतिम मूल्यांकन आदेश संख्या C. NO. VIII(6)40/CUS//DMR/2012/447 को, जिसमें अंतिम रूप से दिनांक 20.03.2012 के बिल ऑफ एंट्री संख्या 260/HC/2011-12 का मूल्यांकन किया गया था, जो कि इस याचिका के अनुलग्नक-"4" में है और यह निर्धारित किया गया है कि वर्तमान मामले में अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना परिसीमा द्वारा वर्जित है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, को रद्द और अपास्त करने के लिए रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए;

E. उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 03.04.2018 के विवादित अंतिम मूल्यांकन आदेश संख्या C. NO. VIII(6)40/CUS//DMR/2012/448 को, जिसमें अंतिम रूप से दिनांक 20.03.2012 के बिल ऑफ एंट्री संख्या 261/HC/2011-12 का मूल्यांकन किया गया था, जो कि इस याचिका के अनुलग्नक-"5" में है और यह निर्धारित किया गया है कि वर्तमान मामले में अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना परिसीमा द्वारा वर्जित है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, को रद्द और अपास्त करने के लिए रिट(रिटों), आदेश(आदेशों) और/या निर्देश(निर्देशों) को जारी करने के लिए।"

4. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय और कारखाने झारखंड राज्य में हैं। याचिकाकर्ता ने झारखंड राज्य में अपने कारखाने में उपयोग के लिए भारत राज्य क्षेत्र के बाहर से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(23) के अर्थ के भीतर स्टीम कोल का आयात किया। याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 2(26) के अर्थ के भीतर स्टीम कोल का आयातक है।

5. **डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 5161/2022** में, याचिकाकर्ता दिनांक 10-08-2022 के आयुक्त (अपील), जी.एस.टी., केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भुवनेश्वर (उत्तरवादी संख्या 3) द्वारा पारित सामान्य अपील आदेश (अनुलग्नक "1") की वैधनिकता और वैधता को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने दिनांक 19-11-2018 के विवादित मूल आदेश (अनुलग्नक-"2") और दिनांक 19-11-2018 के विवादित मूल आदेश (अनुलग्नक-"3") को रद्द कर दिया और मामले को नये सिरे से न्यायनिर्णयन के लिए वापस भेज दिया, यह अनदेखा करते हुए कि 19-11-2018 के विवादित आदेश सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 (9) (क) के तहत छह महीने की परिसीमा द्वारा वर्जित हैं और पूरी कार्यवाही अधिनियम की धारा 28 (1) (क) के तहत प्रदान किए गए पूर्व-कारण बताओ नोटिस परामर्श के बिना की गई है, जो प्रावधान आज्ञापक और अनिवार्य प्रकृति के हैं और मामले की जड़ तक जाते हैं।

याचिकाकर्ता इस रिट याचिका में आगे अधिनियम की धारा 28 कक के तहत ब्याज के साथ 5% की दर से 24,69,401/- रुपये के विभेदक मूल सीमा शुल्क (differential Basic Custom Duty) और धारा 112(क) के तहत 24,69,401/- रुपये का शास्ति (पेनल्टी) अधिरोपित करने और धारा 125 के तहत जब्ती के बदले 23,27,648/- रुपये का मोचन जुर्माना भी लगाने की मांग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(8) के तहत उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 19-11-2018 के मूल आदेश (अनुलग्नक-"2") और दिनांक 19-11-2018 के मूल आदेश (अनुलग्नक - 3") की वैधानिकता और वैधता को चुनौती दे रहा है। कथित आदेश में मांग को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(1) के तहत पुष्ट कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका में आगे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा जारी किए गए दिनांक 20-04-2018 के विवादित कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक "4") और दिनांक 20-04-2018 के कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक-"5") की वैधता को चुनौती दी है, जो बिल ऑफ एंट्री संख्या 260/HC/2011-12 दिनांकित 20.03.2012 और बिल ऑफ एंट्री संख्या 261/HC/2011-12 20.03.2012 के संबंध में है, जिसमें प्रत्येक मामले में धारा 28 कक के तहत ब्याज सहित 5% की दर से 24,69,401/- रुपये का विभेदक मूल सीमा शुल्क (differential Basic Custom Duty) और धारा 112 (क) के तहत शास्ति और उक्त अधिनियम की धारा 111(d), धारा 111(m) और धारा 112(क)

के अधीन 2,32,76,477/- रुपये मूल्य के 3650 मीट्रिक टन स्टीम कोयले को जब्त करने का प्रस्ताव है। दोनों कारण बताओ नोटिसों को धारा 28(1) के तहत जारी किया गया है क्योंकि दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने का कोई मामला अभिकथित नहीं किया गया है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114A के तहत ऐसे अपराधों के लिए कोई शास्ति प्रस्तावित नहीं है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकीलों श्री कार्तिक कुर्मी और श्री एन.के. पसारी तथा सुश्री सिद्धि जालान की सहायता से, द्वारा प्रस्तुत किया गया कि कारण बताओ नोटिस धारा 28(1) के तहत जारी किया गया है, क्योंकि दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को छिपाने का कोई मामला नहीं है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114A के तहत ऐसे अपराधों के लिए कोई शास्ति प्रस्तावित या अधिरोपित नहीं है।

वर्ष 2012 में, याचिकाकर्ता ने झारखंड राज्य में स्पंज आयरन के विनिर्माण और तैयार माल के उत्पादन में उपयोग के लिये बिजली उत्पादन हेतु अपने कारखाने में उपयोग के लिये दक्षिण अफ्रीकी मूल के स्टीम कोयले के आयात के लिए मेसर्स क्यू.वी.सी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 02-03-2012 के समझौते [प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011-12] और मेसर्स क्यू.वी.सी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 02-03-2012 के समझौते [प्रविष्टि बिल संख्या 261/HC/2011-12] के माध्यम से हाई सील सेल किया। कथित स्टीम कोयला याचिकाकर्ता द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(26) के अर्थ में आयातक के रूप में उड़ीसा राज्य में धामरा बंदरगाह के माध्यम से बिल ऑफ एंट्रीज के उक्त 2 नंबरों के विरुद्ध आयात किया गया था।

उक्त बिल ऑफ एंट्रीज के दाखिल होने पर, ओडिशा राज्य में धामरा बंदरगाह के सीमा शुल्क अधीक्षक ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(1) के तहत उक्त प्रविष्टियों के बिल (बिल ऑफ एंट्रीज) का अनंतिम रूप से (प्रोविजनली) मूल्यांकन किया।

दिनांक 20-03-2012 के प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011-12 और दिनांक 20-03-2012 के प्रविष्टि बिल संख्या 261/HC/2011-12 के संबंध में, अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने का कार्य 6 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क प्रभाग, धामरा द्वारा पारित दिनांक 03-04-2018 के अंतिम मूल्यांकन आदेश (अनुलग्नक- "10") और दिनांक 03-04-2018 के अंतिम मूल्यांकन आदेश (अनुलग्नक- "11") के माध्यम से किया गया।

7. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त 2 प्रविष्टि बिलों के विरुद्ध अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने मामले को आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर क्षेत्र के समक्ष अपील किया। उक्त दो अपीलों के लंबित रहने के दौरान,

उत्तरवादी संख्या 4 ने दिनांक 20-03-2012 के प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011-12के संबंध में दिनांक 03-04-2018 को अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के बाद दिनांक 20-04-2018 को आक्षेपित कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक- "4") जारी किया, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत 24,69,401/- रुपये के विभेदक मूल सीमा शुल्क की मांग की गई , साथ ही अधिनियम की धारा 28कक के तहत ब्याज भी इस आधार पर मांगा गया कि आयातित 'कोयला' SH 27011920 के अंतर्गत आने वाला "स्टीम कोयला" नहीं बल्कि SH 27011200 के अंतर्गत आने वाला "बिटुमिनस कोयला" है और लागू बी.सी.डी. की दर दिनांक 17-03-2012 के सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचना संख्या 12/2012-Cus के क्रम संख्या 124 के तहत 5% एड-वैलोरम है और शून्य नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता ने उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 123 के तहत दावा किया है।

उन्होंने आगे कहा कि इसी प्रकार दिनांक 20.03.2012 के प्रविष्टि बिल संख्या 261/HC/2011-12 के संबंध में, दिनांक 03.04.2018 के अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपील के दौरान, राजस्व ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत 24,69,401/- रु. के विभेदक मूल सीमा शुल्क (differential Basic Custom Duty) की मांग के साथ साथ धारा 28कक के तहत ब्याज की मांग करते हुए आक्षेपित कारण बताओ नोटिस दिनांकित 20.04.2018 (अनुलग्नक "5") जारी किया, इस आधार पर कि आयातित कोयला SH 27011920 के अंतर्गत आने वाला "स्टीम कोयला" नहीं है, बल्कि SH27011200के अंतर्गत आने वाला "बिटुमिनस कोयला" है और लागू बी.सी.डी. की दर सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012-Cus दिनांकित 17.03.2012 की क्रम संख्या 124 के तहत 5% एड-वैलोरम है और शून्य नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता ने उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 123 के तहत दावा किया है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि कारण बताओ नोटिसों को धार 28(1) के तहत जारी किया गया है क्योंकि दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को छिपाने का कोई मामला नहीं है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114A के तहत ऐसे अपराधों के लिए कोई शास्ति (पेनल्टी) प्रस्तावित नहीं है। उत्तरवादी संख्या 3 ने दिनांक 01-08-2022 के अपील में एक पूर्व आदेश संख्या 107-110/CUS/CCP/2022 के माध्यम से प्रविष्टि बिल संख्या 260/DC/2011-12 और प्रविष्टि बिल संख्या 261/HC/2011-12 के अंतिम मूल्यांकन खिलाफ कथित दो अपीलों का निपटारा किया, जिसमें दो अन्य प्रविष्टि बिलों को अंतिम रूप देना भी शामिल था, दिनांक 01-08-2022 के अपील में एक सामान्य आदेश द्वारा दिनांक 03-04-2018 के अंतिम मूल्यांकन आदेशों (अनुलग्नक-10" और अनुलग्नक-11] को रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ उक्त अपीलें उनके समक्ष दायर की गई थीं और मामले को निचले प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया कि वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(1क) और सीमा शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन को

अंतिम रूप देना) विनियमन,2018 के विनियमन 5 और 6 के अनुसार प्रविष्टि बिलों को अंतिम रूप देने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद एक स्पष्ट आदेश जारी करें।

9. श्री कुर्मी ने तर्क दिया कि दिनांक 01-08-2022 का कथित अपील में आदेश 2022 के डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 4340/2022 में चुनौती का विषय है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 28 की उपधारा (9) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामले के संबंध में नोटिस की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शुल्क और ब्याज के निर्धारण का प्रावधान करती है, अर्थात् जहां कोई दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाना शामिल नहीं है और धारा 28(9) के खंड (ख) के अनुसार धारा 28(4) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् जहां कोई दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाना शामिल नहीं है।

उन्होंने आगे दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (क) और खंड (ख) के तहत "जहां ऐसा करना संभव है" शब्दों को वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 63 के द्वारा विलोपित कर दिया गया है (29-03-2018 से प्रभावी)। अब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9) आज्ञापक और अनिवार्य प्रकृति की है।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 28(9) का दूसरा परंतुक यह प्रावधान करता है कि जहां सक्षम अधिकारी ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर शुल्क, ब्याज की राशि निर्धारित करने में विफल रहता है वहाँ ऐसी कार्यवाही इस प्रकार समाप्त मानी जाएगी मानो कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और प्रस्तुत मामले में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है जो सक्षम अधिकारी को धारा 28(9) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट छह महीने की अवधि के भीतर शुल्क, ब्याज की राशि निर्धारित करने से रोक सकता हो और न ही धारा 28(9) के पहले परंतुक के अनुसार किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय सीमा का कोई विस्तार किया गया है। यहां तक कि धारा 28(9क) के तहत उचित अधिकारी द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि उचित अधिकारी धारा 28(8) के तहत शुल्क या ब्याज की राशि निर्धारित करने में असमर्थ है क्योंकि इसी तरह के मामले में अपील न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या स्थगन का अंतरिम आदेश है या बोर्ड ने इसी तरह के मामले में ऐसे मामलों को लंबित रखने के लिए निर्देश या आदेश जारी किया है या सेटलमेंट आयोग ने संबंधित व्यक्ति के आवेदन को स्वीकार कर लिया है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को शुल्क या ब्याज का निर्धारण नहीं करने के लिए कोई सूचना भी नहीं दी गई जैसा कि धारा 28(9क) के तहत आज्ञापक है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 28 की उपधारा (1) का खंड (क) कारण बताओ नोटिस से पहले आज्ञापक परामर्श का प्रावधान करता है। उत्तरवादी संख्या

2 ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28(1)(क) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 29/2018-Cus (NT) दिनांकित 02-04-2018 के माध्यम से 02-04-2018 से प्रभावी पूर्व-सूचना परामर्श विनियमन, 2018 तैयार किया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(1)(क) का परंतुक यह प्रावधान करता है कि कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले, उचित अधिकारी पूर्व-सूचना परामर्श विनियमन, 2018 के अधीन निर्धारित तरीके से शुल्क या ब्याज के साथ प्रभार्य व्यक्ति के साथ पूर्व सूचना परामर्श करेगा। उत्तरवादी संख्या 4 ने आक्षेपित मूल आदेशों, दोनों दिनांकित 19.11.2018 (अनुलग्नक "2" और अनुलग्नक "3") के माध्यम से दो कारण बताओ नोटिसों, दोनों दिनांकित 20.04.2018 (अनुलग्नक "4" और अनुलग्नक "5")के विरुद्ध सात माह बीत जाने के बाद अर्थात् अधिनियम की धारा 28(1)(a) के अधीन प्रवधानित छः माह की सीमा से परे, प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011-12 दिनांकित 20.03.2012 और प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011/12 दिनांकित 20.03.2012 के संबंध में मनमाने ढंग से ब्याज सहित विभेदक मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया और अधिनियम की धारा 112(क) समान शास्ति (पेनल्टी) भी आधिरोपित किया।

अधिनियम की धारा 28(1) के तहत मांग की पुष्टि की गई है। उन्होंने दोहराया कि आक्षेपित आदेश में धारा 28(4) के तहत दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने का कोई मामला नहीं बनता है और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114A के तहत ऐसे अपराध के लिए कोई शास्ति (पेनल्टी) अधिरोपित नहीं किया गया है।

11. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उत्तरवादी संख्या 3 ने दिनांक 10-08-2022 को अपील में कॉमन आदेश दिनांकित 10.08.2022 पारित किया, जिसका क्रमांक 113-114/CUS/CCP/2022 (अनुलग्नक "1") है और दिनांक 20.04.2018 के दोनों मूल आदेशों (अनुलग्नक "2" और अनुलग्नक- "3") को रद्द कर दिया, और मामले को नये सिरे से न्यायनिर्णयन के लिये वापस भेज दिया, इस बात की अनदेखी करते हुए कि न्यायनिर्णयन आदेश अधिनियम की धारा 28(1)(क) के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित है और कारण बताओ नोटिसों को अधिनियम की धारा 28(9)(क) के तहत प्रावधानित पूर्व-कारण बताओ नोटिस परामर्श के बिना जारी किए गए हैं, जो कि मामले की जड़ तक जाता है; इसलिए पूरी कार्यवाही आरंभ से ही शून्य, यकृत और दोषपूर्ण है।

इसके अलावा, 20-04-2018 के कारण बताओ नोटिस अर्थात् 20-03-2012 को अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन की तारीख से 6 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद जारी करना युक्तियुक्त परिसीमा अवधि के द्वारा वर्जित है। कथित अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने की बात डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 4340/2022 में चुनौती का विषय है।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151A के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किये गये सीमा शुल्क मैनुअल निर्देश के अध्याय 7 के पैरा 3.1 के अनुसार, जो विभाग के लिए बाध्यकारी है, अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को छह महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जबकि वर्तमान मामले में अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को छः माह से अधिक समय बीत जाने के बाद अंतिम रूप दिया गया है और आक्षेपित कारण बताओ नोटिसों को छह माह से अधिक समय बीत जाने के बाद जारी किए गए हैं, इसलिए, यह परिसीमा द्वारा वर्जित है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि जब अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने की प्रारंभिक कार्यवाही कानून में मान्य नहीं है, तो कारण बताओ नोटिस, मूल आदेश और अपील आदेश के माध्यम से बाद की कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

12. जहां तक के डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 4340/2022 का संबंध है, याचिकाकर्ता ने अंतिम मूल्यांकन आदेशों दिनांकित 26.06.2021 (अनुलग्नक-“2”), दिनांकित 20/21.09.2021 (अनुलग्नक-“3”), दिनांकित 03.04.2018 (अनुलग्नक-“4”) और दिनांकित 03.04.2018 (अनुलग्नक-“5”) के खिलाफ आयुक्त (अपील), जी.एस.टी., केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भुवनेश्वर द्वारा पारित सामान्य अपील में आदेश दिनांकित 01.08.2022 (अनुलग्नक-“1”) की वैधानिकता और वैधता को चुनौती दी है, इस विस्तार तक कि उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(2) के तहत अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए कार्यवाही की नई शुरुआत के लिए मामले को उत्तरवादी संख्या 4 को वापस भेज दिया है, भले ही कार्यवाही परिसीमा द्वारा वर्जित है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका द्वारा अंतिम मूल्यांकन आदेशों दिनांकित 26.06.2021 (अनुलग्नक-“2”), दिनांकित 20/21.09.2021 (अनुलग्नक-“3”), दिनांकित 03.04.2018 (अनुलग्नक-“4”) और दिनांकित 03.04.2018 (अनुलग्नक-“5”) की वैधानिकता और वैधता को चुनौती दी है, जिसमें चार प्रविष्टियों के बिल संख्या क्रमशः 158/HC/2012-13 दिनांकित, 17.07.2012, संख्या 341/HC/2012-13 दिनांकित 26.11.2012, संख्या 260/HC/2011-12 दिनांकित 20.03.2012 और संख्या 261/HC/2011-12 दिनांकित 20.03.2012 को अंतिम रूप दिया गया है।

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त 4 बिल प्रविष्टियां वर्ष 2012 में दाखिल की गई थीं। ओडिशा राज्य में धामरा बंदरगाह के अधीक्षक सीमा शुल्क ने प्रस्तुति की तिथि पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त बिल प्रविष्टियों का अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन किया और शून्य मूल सीमा शुल्क (निल बेसिक कास्टम्स ड्यूटी) के भुगतान और 1% की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सी.वी.डी.) के भुगतान पर जैसा कि ऊपर सारणीबद्ध है (अन्य उपकर आदि सहित) घरेलू खपत के लिए आयातित स्टीम कोयले की निकासी की अनंतिम रूप से (प्रोविजनली) अनुमति दी।

13. श्री कुर्मी ने तर्क दिया कि उपर्युक्त 4 बिल प्रविष्टियों के अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन पर, मूल्यांकन को अंतिम रूप देने को उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा 6 से 9 वर्षों तक अनिश्चित काल के लिए लंबित अवस्था में रखा गया था। "सी.बी.आई.सी. सीमा शुल्क निर्देश पुस्तिका" (CBIC Customs Manual of Instructions) अध्याय 7 के अधीन, जो अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन से संबंधित है, यह पैरा 3.1 के तहत सी.बी.आई.सी. उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि, अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को 6 महीने के भीतर शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। दो प्रविष्टि बिल संख्या 158/HC/2012-13 दिनांकित, 17.07.2012, और प्रविष्टि बिल संख्या 341/HC/2012-13 दिनांकित 26.11.2012 के संबंध में अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप 9 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद अंतिम मूल्यांकन आदेश दिनांकित 26.06.2021 (अनुलग्नक "2") और अंतिम मूल्यांकन आदेश दिनांकित 20/21.09.2021 (अनुलग्नक- "3") के माध्यम से किया गया था।

14. दो अन्य प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011-12 दिनांकित और प्रविष्टि बिल संख्या 261/HC/2011-12 के संबंध में, अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप क्रमशः अंतिम मूल्यांकन आदेश दिनांकित 03.04.2018 (अनुलग्नक-"4") और अंतिम मूल्यांकन आदेश दिनांकित 03.04.2018 (अनुलग्नक-"5") के माध्यम से 6 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद किया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा उक्त 4 प्रविष्टि बिलों के विरुद्ध अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने में देरी से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर क्षेत्र के समक्ष सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 128 सपथित धारा 128A के अधीन आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर क्षेत्र के समक्ष अपील के ज्ञापन के माध्यम से मामले में अपील किया।

उत्तरवादी संख्या 1 ने दिनांक 01.08.2022 के अपील आदेश संख्या 107-110/CUS/CCP/2022 के माध्यम से निर्धारित किया कि 6-9 वर्षों के बाद अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना परिसीमा द्वारा वर्जित है, जबकि इसके साथ ही मामले को निचले प्राधिकारी को वापस भेज दिया, इस निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाए।

15. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना "सी.बी.आई.सी. सीमा शुल्क निर्देश पुस्तिका" (CBIC Customs Manual of Instructions) के अध्याय 7 के अधीन पर 3.1 के अनुसार 6 माह की परिसीमा द्वारा वर्जित है और यह प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में है, इसलिए यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है और कानून की नजर में अमान्य/अकृत है। "सी.बी.आई.सी. सीमा शुल्क निर्देश पुस्तिका" (CBIC Customs Manual of Instructions) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151A के

तहत शक्ति के प्रयोग में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए निर्देशों का संकलन है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन काम करने वाले अधिकारियों पर बाध्यकारी है।

इसके अलावा, प्रविष्टि बिल संख्या 158/HC/2012-13 दिनांकित 17.07.2012 और प्रविष्टि बिल संख्या 341/HC/2012-13 दिनांकित 26.11.2012-13 के संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के अधीन कोई कारण बताओ नोटिस और/या न्यायनिर्णयन आदेश 10 वर्ष (एक दशक) बीत जाने के बाद भी जारी नहीं किया गया है, इसलिए, 75,76,956/- रुपये और 62,83,824/- रुपये, कुल मिलाकर 1,38,60,780/- रुपये के शुल्क की मांग भी परिसीमा द्वारा पूरी तरह से वर्जित होने के कारण टिकने योग्य नहीं है, और इसलिए, उत्तरवादी संख्या 3 ने उक्त मामले को एक नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने के लिए उत्तरवादी संख्या 4 को भेजकर एक गंभीर त्रुटि की है, जो मनमाना, अनुचित और दमनकारी है।

16. राजस्व के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मेसर्स बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड, (यूनिट: गौतम फेरो अलॉयज) मेन रोड, रांची-834001. झारखंड, (जिसे आगे 'याचिकाकर्ता' कहा जाएगा) एक आयातक है और धामरा बंदरगाह के माध्यम से कोयला आयात किया है। याचिकाकर्ता ने दक्षिण अफ्रीकी कोयले को थोक में आयात और क्लियर किया था और इसे "स्टीम कोल (नॉन-कोकिंग)" घोषित करते हुए CTH 27011920 के तहत वर्गीकृत किया था और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत लगाए जाने वाले केवल 1% अतिरिक्त शुल्क (सी.वी.डी.) का भुगतान किया, अधिसूचना संख्या 12/2012-CUS दिनांकित 17.03.2012 के तहत छूट का दावा करते हुये। प्रविष्टि बिलों का मूल्यांकन सूचनाप्राप्तकर्ता (नोटिसी) द्वारा निष्पादित पी.डी. बॉन्ड के खिलाफ अनंतिम रूप से (प्रोवीजनली) किया गया था। विषयगत प्रवेश बिल के अंतर्गत माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद संख्या 27011920 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 में यह प्रावधान है कि उप-शीर्षक "बिटुमिनस कोयला" के उद्देश्य के लिए "बिटुमिनस कोयला" का अर्थ है वह कोयला जिसकी वाष्पशील पदार्थ सीमा (शुष्क, खनिज-पदार्थ-मुक्त आधार पर) 14% से अधिक है और कैलोरी मान सीमा (नम, खनिज-पदार्थ-मुक्त आधार पर) 5833 किलो कैलोरी/किग्रा से अधिक है। प्रविष्टि बिल (बिल ऑफ एंट्री) के समय प्रस्तुत लोड पोर्ट परीक्षण/विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि B/E में घोषित कोयले की वाष्पशील पदार्थ सीमा 14% से अधिक है और कैलोरी मान 5833 किलो कैलोरी/किग्रा से अधिक है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त B/E के तहत आयातित कोयले को "स्टीम कोयला" (टैरिफ वर्गीकरण -27011920) के बजाय "बिटुमिनस कोयला" (टैरिफ वर्गीकरण - 27011200) के रूप में वर्गीकृत किया जाना है जैसा कि घोषित किया गया है और इस प्रकार शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012-CUS दिनांकित 17.03.2012 (क्रम सं . 124) के अनुसार होगा, जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा

(1) के अंतर्गत 5% की दर से आधार सीमा शुल्क (बी.सी.डी) और 6% की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी) लगेगा।

उन्होंने अंत में प्रस्तुत किया कि 20.04.2018 के कारण बताओ नोटिसों दोनों दिनांकित 20.04.2018 के विरुद्ध न्यायनिर्णयन आदेशों (O-I-O) दोनों दिनांकित 19.11.2018 को अपील में आदेश संख्या 113-114/CUS/CCP/2022 दिनांकित 10.08.2022 के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। इसलिए प्रस्तुत रिट आवेदनों की आवश्यकता नहीं है और रिट याचिका दायर करके याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद करने की कोशिश की है।

17. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और संबंधित हलफनामों के साथ संलग्न दस्तावेजों और उनमें दिए गए कथनों का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि प्रविष्टि बिल संख्या **260/HC/2011-12 और संख्या 261/HC/2011-12** दोनों रिट याचिकाओं के लिए समान हैं, लेकिन इसका अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन 2022 के डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 4340/022 में चुनौती के अधीन है।

डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 4340/2022 में, उपरोक्त दो प्रविष्टियों सहित 4 प्रविष्टियों के बिलों के अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने में देरी को चुनौती दी गई है, साथ ही उन चार प्रविष्टियों के बिलों के ऐसे अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन के खिलाफ प्रथम अपीलीय आदेश भी चुनौती के अधीन है।

डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 5161/2022 में, दो कारण बताओ नोटिस (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत जारी, अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के बाद जारी) और दो बिल प्रविष्टियाँ सं. 260/HC/2011-12 और सं.261/HC/2011-12 के खिलाफ जारी किए गए मूल आदेश और मूल आदेश के खिलाफ प्रथम अपीली आदेश चुनौती का विषय हैं।

18. अन्य दो प्रविष्टि बिल संख्या 158/ HC/2012-13 और संख्या 341/ HC/2012-13, जो कि प्रथम डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 4340/2022 में चुनौती दिए गए चार प्रविष्टि बिलों में से हैं, के विरुद्ध अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन की तारीख से 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।

अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि अनंतिम (प्रोविजनल) प्रविष्टि बिल संख्या 158/HC/2012-13, बिल संख्या 341/HC/2012-13, बिल संख्या 260/HC/2011-12 और बिल संख्या 261/HC/2011-12 को अंतिम रूप देने में देरी हुई है; हालाँकि, यह "सी.बी.आई.सी. सीमा शुल्क निर्देश पुस्तिका" (CBIC Customs Manual of Instructions) के अध्याय 7 के

पारा 3.1 के विपरीत है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151A के तहत शक्तियों के प्रयोग में सी.बी.आई.सी. द्वारा जारी किया गया है और जो उत्तरवादी पर बाध्यकारी है। संक्षिप्तता के लिए, इसे नीचे उद्धृत किया गया है: -

### 3. अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना:

3.1 अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को शीघ्रता से, 6 माह के भीतर अंतिम रूप दे दिए जाने की आशा है। हालांकि, मशीनरी अनुबंधों या बड़ी परियोजना आयातों से जुड़े मामलों के संबंध में, जहां आयात लंबी अवधि में होता है, ऐसे अंतिम रूप देने में अधिक समय लग सकता है क्योंकि सभी आयात किए जाने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। यहां भी, अनुबंध द्वारा कवर की गई अंतिम खेप के आयात की तारीख से 6 महीने के भीतर मामलों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

[Refer Instructions F. No.512/5/72-Cus.VI, dated 23-04-1973 और F. No.511/7/77-Cus.VI, dated 09-01-1978 और Circular No. 17/2011-Cu08-04-2011]

19. इस स्तर पर, सीमा शुल्क आयुक्त बनाम भारतीय तेल निगम 2004 (165) ELT 257 (SC) में प्रकाशित, के मामले का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब परिपत्र लागू रहता है, तो राजस्व बोर्ड द्वारा बाध्यकारी परिपत्र के विपरीत कोई तर्क नहीं दे सकता है, राजस्व इसके लिए बाध्य है (पैरा - 12)।

कथित सी.बी.आई.सी. निर्देश के पैरा 3.1 के अनुसार, प्रविष्टियों के बिल को 6 महीने के भीतर तेजी से अंतिम रूप दिया जायेगा। प्रस्तुत मामले में, अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने का काम सी.बी.आई.सी. निर्देश के पैरा 3.1 द्वारा शासित होता है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत युक्तियुक्त अवधि है।

यह सच है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18 के तहत, कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है, हालांकि, अंतिम रूप युक्तियुक्त परिसीमा अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। के.बी. नागुर, एम.डी. (आयुर्वेदिक) बनाम भारत संघ (2012)4 SCC 483 के मामले का संदर्भ लिया जा सकता है। [पारा 38]

20. दिनांक 01-08-2022 के प्रथम अपील आदेश में आयुक्त (अपील) जो कि चुनौती के अधीन है, उत्तरवादी संख्या 3 ने निर्धारित किया है कि सीमा शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन का अंतिमकरण) विनियमन, 2018 (Finalisation of Provijanal Assessment)

Regulation, 2018 के नियम 5 के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देना वर्जित है, लेकिन मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया, जिससे पुराने और समयबद्ध दावे को नया जीवन मिल गया, जो कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मामला सी.बी.आई.सी. मैनुअल के अध्याय 7 के पैरा 3 के अनुसार 6 महीने की परिसीमा द्वारा वर्जित है, न कि 2018 के विनियमन के नियम 5 के अनुसार।

आयुक्त (अपील) ने दिनांक 01-08-2022 के प्रथम अपील आदेश में निर्धारित किया है कि अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देना परिसीमा द्वारा वर्जित है। सी.बी.आई.सी. निर्देश का पैरा 3.1; 2018 के विनियमन के नियम 5 के तहत परिसीमा 14-08-2018 से प्रभावी भविष्यलक्षी रूप से लागू है, प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं है क्योंकि प्रविष्टियों के बिलों का 2011-12 और 2012-13 में अनंतिम रूप से (प्रोविजनली) मूल्यांकन किया गया है, अर्थात् 14-08-2018 से बहुत पहले।

21. यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि सीमा शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना) विनियमन, 2018 (2018 विनियमन) का नियम 5 केवल 14-08-2018 के बाद किए गए अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन पर लागू होता है; इसलिए, इस मामले में इसे 4 प्रविष्टियों के अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे वर्ष 2012 में किए गए हैं। इस मामले को अंतिम रूप देने की परिसीमा सी.बी.आई.सी. निर्देश के पैरा 3.1 द्वारा शासित होगी जिसके अनुसार अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना शीघ्रता से, 6 महीने के भीतर किया जाना है जबकि वर्तमान मामले में अंतिम रूप देना 6 से 9 साल के बाद किया गया है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गोल्डेन एंटरप्राइजेज बनाम सी.सी 2022 (379) E.L.T 334 (P&H) के मामले में गुप्ता स्मेलटर्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ 2019 (365) E.L.T 77, मेसर्स GPI टेक्सटाइल्स बनाम भारत संघ 2018 (362) E.L.T 388 (P&H) के मामले में अपने पहले के फैसले और मेसर्स सिद्धि विनायक सिंटेक्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ 2017 (352) E.L.T 455 (गुज.) के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद समान परिस्थितियों से निपटते हुये यह फैसला सुनाया, जिसमें बिल के प्रविष्टियों की तारीख से 8-9 साल के बाद अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने को यह मानते हुए रद्द कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई याचिका लंबित नहीं थी और न ही किसी अदालत का कोई स्थगन था, इस प्रकार, अंतिम मूल्यांकन को रोकने का कोई कारण नहीं था।

22. इसके अलावा, टाटा टेलीसर्विसेज लि. बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022 (381) E.L.T. 145 (SC) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि परिसीमा बिंदु अधिकार क्षेत्र का बिंदु है और यह मामले की जड़ तक जाता है। प्रस्तुत मामले में; 4 बिल प्रविष्टियों में से, बिल प्रविष्टि संख्या 158/HC/2012-13 का 17-07-2012 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत अनंतिम रूप से (प्रोविजनली) मूल्यांकन किया गया था, जिसका अंतिम मूल्यांकन 9 साल बाद 26-06-2021 (अनुलग्नक-“2”) को किया गया था।

इसके अलावा, अंतिम रूप देने के बाद अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन की तारीख से 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसी तरह, प्रविष्टि बिल संख्या 341/HC/2012-13 का 26-11-2012 को अनंतिम रूप से (प्रोविजनली) मूल्यांकन किया गया था और अंतिम रूप से मूल्यांकन 20/21-09-2021 को यानी 9 साल बाद मूल्यांकन किया गया था (अनुलग्नक “3”)। यहां भी, अंतिम रूप देने के बाद अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन की तारीख से 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। प्रविष्टि बिल संख्या 58/HC/2012-13 और प्रविष्टि बिल संख्या 341/HC/2012-13 के संबंध में अधिनियम की धारा 28 के तहत 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011-12 का अनंतिम (प्रोविजनल) मूल्यांकन 20-03-2012 को किया गया था और अंतिम मूल्यांकन 03-04-2018 को किया गया था, अर्थात् 6 वर्ष बाद (अनुलग्नक-“4”), जो डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 4340/2022 का विषय है। अंतिम रूप देने के पश्चात, अधिनियम की धारा 28 के तहत 20-04-2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (अनुलग्नक-“21”) तथा न्याय निर्णय आदेश 19-11-2018 को पारित किया गया था (अनुलग्नक-“23”)। उक्त कारण बताओ नोटिस तथा न्याय निर्णय आदेश डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 5161/2022 का विषय है।

प्रविष्टि बिल संख्या 261/HC/2011-12 का अनंतिम रूप से (प्रोविजनली) मूल्यांकन 20-03-2012 को किया गया था और अंतिम रूप से 03-04-2018 को यानी 6 साल बाद मूल्यांकन किया गया (अनुलग्नक-“5”) जो डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 4340/2022 का विषय है। अंतिम रूप देने के बाद, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के तहत कोई कारण बताओ नोटिस 20-04-2018 को जारी किया गया था (अनुलग्नक-“22”) और न्यायनिर्णयन आदेश 19-11-2018 को पारित किया गया था (अनुलग्नक-“24”)। उक्त कारण बताओ नोटिस और न्यायनिर्णयन आदेश डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 5161/2022 का विषय है।

23. जहां तक डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 5161/2022 का संबंध है; इस रिट याचिका में दो कारण बताओ नोटिसों दिनांकित 20.04.2018 की वैधानिकता और वैधता और दो अपील आदेशों दिनांकित 22.11.2018 वैधानिकता और वैधता के साथ दिनांक 10-08-2022 के प्रथम अपील आदेश को चुनौती दी गई है, दोनों दो बिल प्रविष्टियों (क्रमशः प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011-12 और प्रविष्टि बिल संख्या 261/HC/2011-12 के विरुद्ध हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है; दिनांक 19-11-2018 के दोनों विवादित मूल आदेश सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9)(क) के तहत 6 माह की परिसीमा द्वारा वर्जित है, जिसे उत्तरवादी संख्या 3 दिनांक 10-08-2022 के विवादित प्रथम अपील आदेश को पारित करते समय समझने/मूल्यांकन में विफल रहा। मूल आदेश के विलंब से पारित होने के कारण, दिनांक के 20-04-2018 के विवादित कारण बताओ नोटिसों से लेकर पूरी कार्यवाही रद्द और अपास्त किए जाने योग्य है।

24. उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हम निर्धारित करते हैं कि दिनांक 10-08-2022 के प्रथम अपील आदेश जिसे उपरोक्त दो कारण बताओ नोटिसों, दोनों दिनांकित 20.04.2018 और न्यायनिर्णयन आदेशों, दोनों दिनांकित 19.11.2018 की वैधानिकता के साथ धारा 28 के अधीन [क्रमशः प्रविष्टि बिल संख्या 260/HC/2011-12 और प्रविष्टि बिल संख्या 261/HC/2011-12 के विरुद्ध] कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए कानूनी प्रस्ताव के अनुरूप नहीं है, इस आधार पर कि दिनांक 19-11-2018 के दोनों न्यायनिर्णयन आदेश सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9)(क) के तहत 6 माह की आज्ञापक परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद पारित किए गए हैं; इसके अलावा, दिनांक 20-04-2018 के दोनों आक्षेपित कारण बताओ नोटिस पूर्व-कारण बताओ नोटिस परामर्श के बिना जारी किए गए हैं, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(10)(क) के परंतुक के अधीन आज्ञापक है।

25. जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया है; धारा 28(9) के खंड (क) और (ख) के तहत "जहां ऐसा करना संभव है" शब्दों को 29.03.2018 से प्रभावी 2018 के अधिनियम 13 की धारा 63((iii)(क) ) द्वारा विलोपित कर दिया गया है। उक्त शब्दों को हटाने के बाद, धारा 28(9)(क)/(ख) के अधीन परिसीमा अवधि आज्ञापक है और अनिवार्य प्रकृति की है। , धारा 28(9)(क) प्रावधान करता है कि उचित अधिकारी धारा 28(8) के तहत शुल्क या ब्याज की राशि का निर्धारण कारण बताओ नोटिस की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर करेगा, उन मामलों के संबंध में जो धारा 28(1) के अंतर्गत आते हैं अर्थात् जहां कोई दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाना शामिल नहीं है और धारा 28(4) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में 1 वर्ष की अवधि के भीतर, अर्थात् जहां दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाना शामिल है।

26. उपरोक्त तथ्यों के मददेनजर हमें यह निर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दिनांक 19-11-2018 के दोनों आक्षेपित मूल आदेश धारा 28(9)(क) के अनुसार 6 महीने की परिसीमा अवधि के भीतर पारित किए जाने चाहिए थे, जो कि प्रकृति में आज्ञापक है विशेष रूप से "जहां ऐसा करना संभव हो" शब्दों को विलोपित करने के बाद।

पुनरावृत्ति के बदले में, शब्द; "जहां ऐसा करना संभव है" जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11A(11) में विद्यमान है, को 29.03.2018 से प्रभावी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(8) के अधीन विलोपित कर दिया गया है, जबकि आक्षेपित मूल आदेश दिनांक 19-11-2018 को पारित किया गया था, इसलिए, धारा 28(9) के प्रावधान लिए 29.03.2018 से आज्ञापक हो गए थे, जिसे उत्तरवादी संख्या 3 प्रथम अपील आदेश दिनांकित 10.08 2022 को पारित करते समय मूल्यांकन करने में विफल रहा क्योंकि प्रस्तुत मामले में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मूल आदेश पारित करने के लिए कभी भी समय का विस्तार नहीं किया गया था, जिसके तथ्यों को उत्तरवादी ने अपने जवाबी हलफनामों में विवादित नहीं किया है। इसके अलावा, मौजूदा मामले में दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्य को दबाने का कोई मामला नहीं बनता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114A दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को छिपाने के मामले में शास्ति (पेनल्टी) अधिरपित करने के बारे में प्रावधान करता है।

27. हालांकि, मूल आदेश धारा 111(d) & (m) और धारा 112(a) के अधीन मूल आदेश में शास्तियाँ अधिरोपित की गई हैं जो कि दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के तत्वों की अपेक्षा करता है। मौजूदा मामले में दुरभिसंधि, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अभाव के लिये धारा 114A के अधीन शास्ति अधिरोपित नहीं किया गया है, इसलिए, इस मामले में एक वर्ष की विस्तारित अवधि आकर्षित नहीं होती है।

इसके अलावा, आज्ञापक पूर्व-कारण बताओ नोटिस परामर्श, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(1)(क) के परंतुक सपठित पूर्व सूचना परामर्श विनियमन, 2018 के अधीन आज्ञापक है, का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए, पश्चातवर्ती मूल आदेश दोनों दिनांकित 10.11.2018 और आक्षेपित प्रथम अपील आदेश दिनांकित 10.08 2022 कानून में गलत है, कानून की नजर में आरंभ से ही शून्य और अकृत है।

जवाबी हलफनामे में, उत्तरवादियों ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि कोई पूर्व-सूचना परामर्श विस्तारित किया गया था। उत्तरवादी ने स्वीकार किया कि आक्षेपित कारण बताओ नोटिस जारी करते समय पूर्व-कारण बताओ नोटिस परामर्श नहीं किया गया था। कि **विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल प्रा.लि. बनाम भारत संघ 2022 (382) ELT 597(Del)** के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा

28(1)(क) के परंतुक के अधीन ठीक इसी प्रकार की स्थिति से निपटते हुये निर्धारित किया कि पूर्व-सूचना परामर्श के प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के हैं और निर्धारित किया कि राजस्व को इसका पूरी ईमानदारी/सतर्कता से अनुपालन करना चाहिए और इसके गैर अनुपालन के कारण न्यायनिर्णयन आदेश रद्द करने योग्य है। (निर्दिष्ट पैरा 14.2, पैरा 18, पैरा 21 और पैरा 21.1 )

इसके अलावा, **सक्षम प्राधिकारी बनाम बारंगोर जुट फैक्ट्री 2005 (13) एस.सी.सी.477** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया है कि जहां संविधि किसी कार्य को एक विशेष प्रकार से किए जाने की अपेक्षा करती है, वहां कार्य को उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। (पैरा 5)

इसी प्रकार का समान दृष्टिकोण **ए.के. रॉय बनाम पंजाब राज्य (1986) 4 एस.सी.सी. 326** और **सी.आई.टी. बनाम अंजुम एम.एच. घासवाला (2002) 1 एस.सी.सी. 633** के मामले में व्यक्त किए गए हैं।

**28.** उपरोक्त चर्चाओं और इस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर, इन दोनों रिट आवेदनों को अनुमति दी जाती है और लंबित आई.ए., यदि कोई हो, को भी समाप्त किया जाता है।

(रोंगोन मुखोपाध्याय, न्या.)

(दीपक रौशन, न्या.)

अमरदीप/

एएफआर

यह अनुवाद पैनल अनुवादक (शबनम) द्वारा किया गया।